उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्याः– 511 /VIII-1/2026–39(श्रम)2018
देहरादून, दिनांक 30 अप्रैल, 2026

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और चूंकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 में प्रावधान है कि समुचित सरकार (राज्य सरकार) को उक्त संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है;

अतएव, अब राज्यपाल औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड के मजदूरों/श्रमिकों से सम्बंधित सभी आनुषांगिक मामलों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 बनाने का प्रस्ताव करते है;

राज्यपाल उक्त संहिता की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निर्देश देते है कि उक्त नियमावली से प्रभावित होने वाले हिताधिकारियों एवं जनसामान्य द्वारा इस अधिसूचना से सम्बन्धित कोई भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियां इस अधिसूचना के समाचार पत्र/वेबसाइट में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन, 4 बी सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून, उत्तराखण्ड (secretaryswpl25@gmail.com) एवं श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड (lcukhld0@gmail.com) को प्रेषित किये जा सकेंगे;

राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि उक्त समायावधि के पश्चात् किसी भी अभ्यावेदन एवं आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 (प्रस्तावित प्रारूप)

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) **'संहिता'** से औद्योगिक संबंध संहिता 2020 अभिप्रेत है;

(ख) **'धारा'** से 'औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा अभिप्रेत है;

(ग) **'इलैक्ट्रौनिक रूप से'** से कोई सूचना जिसे ई–मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा संहिता के प्रयोजन किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान करना अभिप्रेत है;

(घ) **'प्रपत्र'** से नियमावली में संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है;

(ङ) **'राज्य सरकार;** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किन्तु औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 परिभाषित है, के वही अर्थ होगें जो संहिता में है।

अध्याय 2
समझौता

समझौता ज्ञापन

3. (1) सुलह की कार्यवाही के दौरान किया गया समझौता या नियोजक और कर्मकार के बीच सुलह की कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से किया गया लिखित समझौता **प्रपत्र–क** में होगा।

(2) समझौते पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे,–

(क) नियोजक द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, या जहां नियोजक कोई निगमित कंपनी

या अन्य निगमित निकाय है, वहां ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य निगमित निकाय के प्रतिनिधि, प्रबंधक या अन्य प्रमुख अधिकारी द्वारा; और

(ख) कर्मकारों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित किसी पदाधिकारी द्वारा, अर्थात्:–

(i) अध्यक्ष; या

(ii) उपाध्यक्ष; या

(iii) सचिव (महासचिव सहित); या

(iv) संयुक्त सचिव; या

(v) व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी जिसे संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो;
या

(vi) इस प्रयोजन के लिए आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि।

(3) किसी कर्मकार और नियोजक के बीच औद्योगिक विवाद की स्थिति में, समझौते पर नियोजक और संबंधित कर्मकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगें।

(4) जहां सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, वहां सुलह अधिकारी, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेगा।

(5) जहां नियोजक और उसके कर्मकार के बीच, सुलह की कार्यवाही की प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से समझौता हो जाता है, तो समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलैक्ट्रौनिक रूप में या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा श्रम आयुक्त और सुलह अधिकारी को भेजेंगें।

(6) सुलह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में संहिता के अंतर्गत किए गए सभी समझौतों को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख, टिप्पणियों और यह जानकारी कि क्या समझौता, सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत से हुआ था, सहित ब्यौरे शामिल होगें;

परन्तु यह कि समझौते पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगें, यदि समझौता सुलह प्रक्रिया के बाहर किया गया हो;

परन्तु यह और कि इस नियमावली की कोई बात कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और किसी नियोजक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसे समझौते प्रपत्र क के अलावा किसी अन्य प्रारूप में भी हो सकतें है।

अध्याय 3

द्वि–पक्षीय मंच

कार्य समिति का गठन एवं इससे संबंधित मामले

4. (1) प्रत्येक नियोजक, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा आदेश किया गया है, नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने, सामान्य हित एवं सरोकार के मामलों में टिप्पणी करने के लिए नियमावली में निर्दिष्ट तरीके से तत्काल एक कार्य समिति (इसके पश्चात् इस नियम में समिति के रूप में संदर्भित) का गठन करेगा।

(2) **सदस्यों की संख्या**

(i) समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार प्रकार निर्धारित की जाएगी कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में और उसके अनुभागों, विभागों में लगे कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

(ii) समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(iii) समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी:

परन्तु यह जिन औद्योगिक प्रतिष्ठान में महिला कर्मकार नियोजित हैं, वहां कार्य समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(3) **नियोजक का प्रतिनिधित्व** इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन समिति में नियोजक के प्रतिनिधि, नियोजक द्वारा नामित किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होगें।

(4) **ट्रेड यूनियन के साथ परामर्श** जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के सदस्य हैं, वहां नियोजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों से लिखित रूप से

उसे सूचित करने के लिए कहेगा कि–

(क) ऐसे कर्मकारों की संख्या जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य है; और

(ख) यदि नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या ट्रेड यूनियनों द्वारा उसे दी गई सूचना मिथ्या है, तो वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों को सूचित करने के पश्चात् मामले को उप रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/अपर रजिस्ट्रार को संदर्भित करेगा, जो पक्षों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट श्रम आयुक्त/रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगा, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) **कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन** उपनियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना के प्राप्त होने तक, नियोजक निम्नलिखित तरीके से समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में, ऐसी वार्ताकारी संघ समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का समिति में प्रतिनिधित्व उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य है;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त कोई वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार आपस में से समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे:

परन्तु यह कि नियोजक, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलैक्ट्रौनिक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खण्ड के अंतर्गत समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उपनियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना, मांगी जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यवसाय संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे माना जाएगा मानो वह अस्तित्व में ही न हो:

परन्तु यह भी कि जहां नियोजक द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोई निर्देश दिया गया है, वहां उससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया, श्रम आयुक्त का निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी।

(6) **निर्वाचन क्षेत्र** यदि नियोजक उचित समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि कर्मकार, समूहों, अनुभागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगें।

(7) **चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अर्हता** कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष के कम न हो और जिससे औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि इस नियम में यथा उपबंधित, नामित किया गया हो, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है:

परन्तु यह कि ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(8) **मतदाताओं के लिए अर्हता** सभी कर्मकार जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की है, समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार

जिसने एक ही नियोजक के दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह माह की निरंतर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(9) **चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारण:**

(i) नियोजक, समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के रूप में तारीख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट चुनाव कराने के लिए नियोजक द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी।

(iii) खण्ड (i) के अंतर्गत निर्धारित की गई चुनाव की तारीख, संबंधित कर्मकारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलैट्रौनिक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्यात प्रचार किया जाएगा।

(10) **चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन**

(i) समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन, नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर

किया जाएगा तथा नियोजक द्वारा उसकी प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर कर्मकारों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ii) खण्ड (10) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र पर उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिनसे वह संबंधित है और उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करता है, और उसे नियोजक को दिया जाएगा।

(11) **नामांकन पत्रों की जांच**

(i) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन नियोजक द्वारा उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) किसी नामांकन पत्र को इस उपनियम के अधीन वैध नहीं माना जाएगा, यदि–

(क) नामित उम्मीदवार उपनियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है. या

(ख) उपनियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

परन्तु यह कि जहां कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति, जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत नामिती को भेज सकेगा।

(12) **उम्मीदवार का नाम वापस लेना:** कोई भी उम्मीदवार जिनका निर्वाचन के लिए नामांकन

स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपना नाम वापस ले सकता है।

(13) चुनाव में मतदान

(i) यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिये वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर है, तो उम्मीदवार को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जहां किसी औधोगिक प्रतिष्ठान में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या, उसे आवंटित सीटों की संख्या में अधिक है, वहां मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा।

(14) समिति के पदाधिकारी

(i) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा।

(ii) नियोजक द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोजक के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहां तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा।

(iii) उपाध्यक्ष का चुनाव कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति सदस्यों द्वारा अपने बीच में किया जाएगाः

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(iv) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(v) समिति, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी बशर्ते कि जहां सचिव का चुनाव नियोजकों के प्रतिनिधियों में से किया जाना है. वही संयुक्त सचिव का चुनाव कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से किया जायेगा और इसके विपरीतः

परन्तु यह कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद जैसा भी मामला हो, नियोजक या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और भी नियोजक के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा मामला हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगेः

परन्तु यह और भी इस उपनियम के अधीन चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(15) **पदावधिः**

(i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(ii) यदि कोई सदस्य समिति में अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में

उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(16) **रिक्तियां** यदि कर्मकार का प्रतिनिधि, उपनियम (15) के खंड (iii) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

(17) **सहयोजित करने की शक्तिः** समिति को परामर्शी क्षमता में चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को सहनियोजित करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोजित सदस्य मत देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो।

(18) **बैठकें**

(i) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार बैठक कर सकेगी, किन्तु तीन माह में एक बार से कम नहीं होगी।

(ii) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(19) बैठकों आदि के लिए सुविधाएं

(i) नियोजक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए आवास उपलब्ध कराएगा तथा समिति और उसके सदस्यों की समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

(ii) समिति की बैठक, सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य अवधि के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने पर कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

(iii) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति में, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगाएगा।

(20) **वार्षिक रिटर्न** नियोजक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत बार्षिक रिटर्न के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) **कार्य समिति का विघटनः** राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समिति को किसी भी समय, लिखित रूप में कारण दर्ज करके एक आदेश द्वारा यह समाधान हो जाने पर भंग कर सकेगा कि समिति का

गठन इस नियम के उपबंधी के अनुसार नहीं किया गया है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो–तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण में कार्य करना बंद कर दिया है:

परन्तु यह कि जहां समिति इस उपनियम के अधीन विघटित कर दी जाती है, वहां नियोजक और यदि ऐसा अपेक्षित हो, राज्य सरकार यथास्थिति ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेगी।

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजकों और कर्मकारों में से सदस्यों का चयन

5. (1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (यहां इसके पश्चात् इस नियम में शिकायत समिति के रूप में सदर्भित) में नियोजक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) शिकायत समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों को नियोजक द्वारा नामित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, ऐसे प्रतिनिधि औद्योगिक स्थापन के कामकाज के साथ सीधे संपर्क में होंगे या उससे संबंधित अधिकारी होंगे। औद्योगिक स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुखों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(3) शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:–

(क) जहां धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ है, वहां यथास्थिति, ऐसे वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वार्ताकार परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व, शिकायत समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य है;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार आपस में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे:

परन्तु यह कि नियोजक इस खण्ड के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म नियोजित कर सकता है;

परन्तु और यह कि शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है और शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला श्रम आयुक्त को भेजा जा सकता हे, जो पक्षों को सुनने के पश्चात् मामले का निर्णय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन

6. (1) कोई भी व्यथित कर्मकार/श्रमिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहां नियुक्त है, सेवा की अवधि वर्षों में, पत्राचार के लिए पता, कर्मकार की श्रेणी, मोबाइल नंबर, शिकायतों का विवरण और जो राहत मांगी गई है के विवरणों के साथ इलैक्ट्रौनिक या अन्यथा रूप में आवेदन दायर कर सकते हैं।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन, इलैक्ट्रौनिक रूप से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित आवेदन, ऐसे विवाद का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दायर किया जाएगा।

धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरूद्ध सुलह अधिकारी को शिकायत के माध्यम से आवेदन दाखिल करने की रीति

7. कोई भी कर्मकार/कर्मचारी जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से असंतुष्ट है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर शिकायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख या उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, से साठ दिनों की अवधि के भीतर जैसी भी स्थिति हो व्यवसाय संघ के माध्यम से जिसमें वह एक सदस्य है अथवा व्यक्तिगत रूप से संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलैक्ट्रौनिक माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे आवेदन को मैनुअल रूप से या रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर, सुलह अधिकारी आवेदन को डिजिटलीकृत करेगा तथा संबंधित कर्मकार के

आवेदन की विशिष्टियों को ऑनलाइन प्रणाली में प्रविष्ट करेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित कर्मकार को देगा।

अध्याय–4
व्यवसाय संघ

धारा 7 के खण्ड (च) के अधीन अंशदान

8. व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंशदान, निम्न होगा–

(i) रू0 200.00 प्रति वर्ष प्रति असंगठित क्षेत्र के कर्मकार
(ii) रू0 300.00 प्रति वर्ष प्रति संगठित क्षेत्र के कर्मकार
(iii) अंशदान की राशि राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार समय समय पर सामान्य आदेश से संशोधित की जा सकेगी।
(iv) सदस्यों के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति से इलैक्ट्रानिक/डिजिटल माध्यम से रू0 5000.00 तक का वार्षिक चन्दा लिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित व्यक्ति को चन्दा दिये जाने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में संबंधित संघ के अध्यक्ष अथवा इस हेतु अधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा रसीद उपलब्ध करायी जाएगी।

धारा 7 मे खण्ड (ञ) के अधीन वर्षिक लेखा परीक्षण की रीति

9. **(1)** उपनियम (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, व्यवसाय संघ का वार्षिक लेखा परीक्षा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उपधारा (1) तहत अर्ह लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यवसाय संघ की सदस्यता 2500 से अधिक नहीं हुई है, तो खाते का वार्षिक लेखा परीक्षणः–

(क) राजकीय सेवा में कार्यरत स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति जोकि राजकीय लेखा सेवा में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत रहा हो;

(ग) किसी सहकारी समिति के लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा, या

(घ) रजिस्ट्रार सहकारी समिति या इस प्रयोजन से राजकीय मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन के द्वारा किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष के दौरान किसी भी समय निधि के किसी भाग या व्यवसाय संघ की प्रतिभूतियों के कार्य को सौंपा गया हो, उस व्यवसाय संघ के लेखों के परीक्षण करने के लिये अर्ह नहीं होगा।

(4) नियमों के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को व्यवसाय संघ की सभी पुस्तकों तक पहुंच दी जाएगी और वार्षिक विवरण का, सम्बन्धित हिसाब किताब और बीजकों के साथ मिलान कर सत्यापन करेगा और उसके उपरांत **प्रपत्र–ख** में अलग से इंगित करते हुए वह या वे एक विवरणी जिसमें उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरण, बिना बीजक के या संहिता के अनुसार न पाये जाने का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। इस विवरणी में निम्नानुसार विवरण दर्शाये जायेगें :–

(क) प्रत्येक भुगतान जो व्यवसाय संघ के नियमों या संहिता के प्रावधानों के विपरीत हों,

(ख) धनराशि की कमी या हानि जो किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के द्वारा किया जाना प्रतीत हो,

(ग) धनराशि जो किसी व्यक्ति द्वारा खाते में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लाई गयी।

राजनीतिक निधि का लेखा परीक्षण

10. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की राजनीतिक निधि का लेखा परीक्षण सामान्य निधि के लेखा परीक्षण के साथ–साथ उन्हीं लेखा परीक्षक या परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण

11. (1) व्यवसाय संघों की धारित पंजिका का निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क रू0 50.00 का भुगतान पर किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार के पास मौजूद किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से प्राप्त दस्तावेजों का निरीक्षण उस संघ के किसी भी सदस्य द्वारा प्रत्येक दस्तावेज के लिए पचास रूपये का शुल्क देकर कर सकता है।

(3) रजिस्ट्रार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को रजिस्ट्रार द्वारा इस उददेश्य हेतु निश्चित कार्य के घण्टों के दौरान दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या उसके सदस्य को रू0 2.00 प्रति पृष्ठ के भुगतान पर किसी भी दस्तावेज की सत्यापित प्रति दी जा सकती है।

धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण आवेदन का प्रारूप

12. (1) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को **प्रपत्र–ग** में इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्यथा किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किये जायेगें–

(क) शपथ पत्र द्वारा प्रपत्र–ग की **अनुसूची–1** के अनुसार शीर्षक, नाम, आयु, पता एवं व्यवसाय की घोषणा;

(ख) व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति के साथ ऐसे नियम अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति। विभिन्न मामलों के लिए नियम बनाने वै प्रावधानों की संख्या प्रपत्र–ग की **अनुसूची–2** के अनुसार होगी;

(ग) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने के लिये प्राधिकृत आवेदकों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति;

(घ) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए देय शुल्क रू0 2000 अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य आदेश से जारी किये जाने वाला संशोधित शुल्क।

(ङ) व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन, होने के मामले में, फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन की पृथक बैठक में प्रत्येक सदस्य, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन गठित करने के अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिये, व्यवसाय संघों के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव, से व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन, होने के मामले में, प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा पृथक बैठक में अंगीकृत प्रस्ताव अभिप्रेत है।

(2) जहां व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की दिनांक से एक वर्ष से अधिक से अस्तित्व में है, वहां आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को व्यवसाय संघ की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रपत्र–ग की **अनुसूची–3** में तैयार किया गया हो।

(3) रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि आवेदन, संहिता के उपबंधो के अनुसार है और व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, प्रकरण से संबंधित अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकता है तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किये जाने तक व्यवसाय संघ को पंजीकृत करने से इंकार कर सकता है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, आवेदन प्राप्त होने के 120 दिन के भीतर व्यवसाय संघ का पंजीकरण करने अथवा न करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगाः

परन्तु यह और कि प्रस्तावित संघ के आवेदन की जांच हेतु अधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अधिकृत होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर अपनी आख्या रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) ऐसा नाम, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ, संघ का पंजीयन करने का प्रस्ताव करता है, यदि वह किसी विद्यमान पंजीकृत व्यवसाय संघ के समरूप है जिससे कि ऐसा नाम जिससे जन सामान्य या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्यों में भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो रजिस्ट्रार आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित करने को निर्देशित करेगा और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रकरण करने से इंकार कर सकता है।

धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

13. (1) जहां, रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रकरण का आदेश करता है वहां वह, **प्रपत्र–घ** में आवेदक व्यवसाय संघ को एक पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन पंजीकृत कर लिया गया है।

(2) यदि रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो व्यवसाय संघ के नाम और अन्य विवरणों को, इस निमित्त **प्रपत्र–ङ** में बनाये गये रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(3) संहिता के प्रारम्भ होने की दिनांक से पूर्व, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का संख्या 16) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसका इस संहिता के प्रारंभ होने की दिनांक के तुरंत पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसा व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार के पास विवरण उपलब्ध कराएगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन संहिता के अनुसरण में है, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियम संहिता की धारा 7 के अनुसरण में अद्यतन हैं, और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में तद्नुसार संशोधित करेगा।

धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण

14. रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ द्वारा, रजिस्ट्रीकरण हेतु इस अध्याय में उल्लिखित आवश्यक उपबंधों का अनुपालन कर दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्राप्त व्यवसाय संघ से संबंधित विवरणों को **प्रपत्र–ङ** में प्रविष्टि के द्वारा व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण करेगा।

धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण का निरस्त अथवा वापस लिया जाना

15. व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन/सूचना प्राप्ति के 45 दिवसों के अंदर वापस लिया या रद्द किया जा सकता है :–

(क) उप/संयुक्त/अपर रजिस्ट्रार से इस पर जांच करवाने के पश्चात्, या

(ख) व्यवसाय संघ द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाये गये नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधो के उल्लंघन के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, या

(ग) यदि वह संतुष्ट है कि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत से कम अथवा 100 कर्मकार, जो भी कम हो, है, वापस लिया जा सकेगा या निरस्त किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द किये जाने से पूर्व व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रद्द करने के प्रस्ताव के आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुये रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को साठ दिन से अन्यून की पूर्व सूचना दी जायेगी।

धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपील दायर करने की अवधि

16. किसी व्यवसाय संघ का, धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से रजिस्ट्रार के इंकार करने या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किये जाने, से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय/इन्कार/रजिस्ट्रीकरण निरस्त किये जाने के आदेश की दिनांक से तीस दिवसों के भीतर क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण को अपील कर सकता हैः

परन्तु यह कि यदि अपीलार्थी न्यायाधिकरण को यह समाधान करा देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है, तो न्यायाधिकरण, इस

नियम के अधीन अपील करने की परिसीमा के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

धारा 11 के अधीन संसूचनाएं और नोटिस

17. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनांये और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजे जायेंगे।

(2) यदि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत या एक सौ से कम होती है, तो ऐसे परिवर्तन/तथ्यों के प्रकट होने के 21 दिनों के भीतर इलैक्ट्रौनिक रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार को, सूचित करेगा।

(3) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिये दिये गये आवेदन, दी गयी विशिष्टियों में और उसके गठन या नियमों, में किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने की दिनांक से 21 दिवसों के भीतर रजिस्ट्रार को इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से सूचित करेगा।

औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् और नियोजक के बीच वार्ता के मामले

18. धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर्मकारों से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर औद्योगिक स्थापना के नियोजक द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा वार्ता की जायेगीः—

(i) कर्मकारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण;

(ii) औद्योगिक स्थापना में लागू स्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोजक द्वारा पारित आदेश;

(iii) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक या अन्य भत्तों सहित कर्मकारों का वेतन;

(iv) कर्मकारों के कार्य घंटे, उनके विश्राम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता;

(v) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश;

(vi) पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधि;

(vii) कर्मकारों के लिए क्वार्टर (आवास) आवंटन निधि;

(viii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं और संबंधी मानक;

(ix) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं है; और

(x) औद्योगिक स्थापना के नियोजक तथा वार्ताकारी संघ या परिषद् यथास्थिति के बीच सहमत अन्य कोई विषय।

धारा 14 की उपधारा 2 के अन्तर्गत कर्मकारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में कर्मकारों की पंजीकृत एकल यूनियन की मान्यता देने का मापदंड

19. जहां पर किसी औद्योगिक स्थापना में केवल एक रजिस्ट्रीकृत संघ काम कर रही है, जिसके औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कर्मकारों के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं, तब ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोजक ऐसी व्यवसाय संघ न को कर्मकारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा।

धारा 14 की उपधारा (3) ओर (4) के अन्तर्गत औद्योगिक स्थापना में ट्रेड यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन की रीति

20. (1) (क) राज्य सरकार औद्योगिक स्थापना में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के लिए एक सत्यापन अधिकारी(इस नियम में इसे इसके बाद सत्यापन अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) नियुक्ति करेगी, जिसका औद्योगिक स्थापना में किसी भी व्यवसाय संघ में कोई हित नहीं होगा जिनकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है:

परंतु वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, को मान्यता देने की प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नियोजक द्वारा

मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, जैसा भी मामला हो, की मौजूदा मान्यता अवधि की समय सीमा की समाप्ति के तीन महीने से पहले प्रारंभ की जाएगी।

(ख) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त अधिकारियों की सेवा का उपयोग कर सकता है।

(ग) सत्यापन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापना में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा।

(2) औद्योगिक स्थापना का नियोजक उपनियम (1) के अंतर्गत व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यय का वहन और व्यवस्था करेगा।

(3) (क) जो व्यवसाय संघ निम्नलिखित शर्तो को पूरा करेंगी, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, जैसा भी मामला हो, के प्रतिनिधियों, का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात् ऐसी संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020) का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत, वैध पंजीकरण होना चाहिए, और

(ख) व्यवसाय संघ में मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता विवरण और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई संगत प्रलेख, लगाने होंगे जिसे व्यवसाय संघ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है।

(4) यदि संहिता के अंतर्गत वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापना का नियोजक, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किन्तु तीन महीने में अधिक नहीं, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कार्रवाई शुरू करेगाः

(5) व्यवसाय संघों की सदस्यता के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना प्रौद्योगिक स्थापना के सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी

(6) स्थापना का नियोजक व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा।

(7) प्रलेखों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए ट्रेड यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जांच करेगा।

(8) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापना के नियोजक और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा।

(9) नियोजक सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इसी प्रकार की अन्य प्लेट फार्म पर चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है।

(10) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन–

(i) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापना में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा–

(क) मतदाता सूची का प्रकाशनः

(ख) मतदान की तारीख, समय, विधि, मतदान का स्थान;

(ग) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थन; और

(घ) गुप्त मतदान से संबंधित अन्य नीति

(ii) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर कराएगा। सभी प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों को इसी बैठक में निशान आवंटित किए जाएंगे। यदि तारीख, समय, मतदान की विधि, मतदान के स्थान, निशान के आवंटन, गणना की तारीख, समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विपयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम कार्य विधि को प्रकाशित करेगा;

(iii) सभी कर्मकार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापना के मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे,

(iv) औद्योगिक स्थापना के नियोजक द्वारा खंड (iii) में संदर्भित मस्टर रोल में दर्ज श्रमिकों के नामों के आधार पर मतदाता सूची तैयार

की जायेगी। इस मतदाता सूची में श्रमिक का नाम, पिता का नाम, पदनाम, नियोजक द्वारा जारी श्रमिक क्रमांक/पहचान पत्र क्रमांक और कार्यस्थल का नाम शामिल होगा। सत्यापन अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नियोजक द्वारा अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और इसे औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित सूचना बोर्ड और वेबसाइट (यदि कोई हो) पर प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसी मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघों को दस्ती द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रौनिक साधन द्वारा भी भेजी जाएगी,

(v) सत्यापन अधिकारी, सूची को अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के भीतर प्रतिभागी ट्रेड यूनियनों के नाम की सूची और उनको आवंटित निशान, औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि है तो, पर प्रदर्शित करेगाः

(vi) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के एजेंटों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;

(vii) वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम शीट में चुनाव में सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गए वोटों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने चुनाव में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा।

(11) **नियोजक को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना**– सत्यापन अधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक को परिणाम–शीट के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।

वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के घटक के रूप में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करना

21. (1) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक, व्यवसाय संघ को संहिता की धारा 14 की उपधारा (3) या उपधारा (4) जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(2) वार्ता संघ या वार्ता परिषद् के रूप में कोई भी मान्यता, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध होगी अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसा कि नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् मान्यता दे जैसा भी मामला हो, आपस में निर्णय करें, वैध होगी

धारा 14 की उपधारा (7) के अन्तर्गत वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

22. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, जहां एक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, जैसा भी मामला हो, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो, को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगें, अर्थात्:–

(i) वार्ताकार संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो, की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड;

(ii) औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के बीच तय की जाने वाली सूची और एजेंडा के अनुसार, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा चर्चा आयोजित करने के लिए स्थल और आवश्यक सुविधाएं;

(iii) वार्ताकारी संघ के सदस्यों या वार्ताकारी परिषद् के घटकों, जैसा भी मामला हो, के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं

(iv) कर्मकारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा

(v) औद्योगिक स्थापना का नियोजक कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघों के सदस्यों के अंशदान की कटौती करेगा

(vi) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के जैसा भी मामला हो, के पदाधिकारी नियोजक और ऐसे पदाधिकारियों के बीच सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोजक के साथ बैठकें आयोजित करते हैं, तब ऐसे नियोजित पदाधिकारियों को काम पर होने के रूप में माना जाएगा; और

(vii) औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कर्मकार है, के नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के जैसा भी मामला हो, को उपर्युक्त कार्यालय स्थल के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

धारा 15 के अन्तर्गत साधारण निधि के उद्देश्य एवं उपयोग

23. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को ऐसे उद्देश्यों जिनका उल्लेख व्यवसाय संघ के उपविधि में किया गया है और जो संबंधित क्षेत्र के व्यवसाय संघ उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित है, से भिन्न किन्हीं अन्य उददेश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक रूप से उदगृहित किये गये अभिदाय या उस निधि में किये गये अभिदाय से संबंधित क्षेत्र के उप/संयुक्त/ अपर रजिस्ट्रार के सत्यापन करने पर एक पृथक निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उददेश्य, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के उपविधि में उल्लिखित है, को अग्रसर

करने के लिये उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिये संदाय किया जा सकेगा।

धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किये जाने की रीति

24. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में, जहां निम्न प्रकार से विवाद हों–

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के मध्य, या

(ख) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के मध्य व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद है, या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के मध्य, या

(घ) जहां कोई विवाद किसी ऐसे व्यवसाय संघ से संबंधित है, जो व्यवसाय संघों का परिसंघ है और इस निमित्त व्यवसाय संघ द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारियों के मध्य है

वहां ऐसे सभी विवादों के प्रकरणों में विवाद से प्रभावित होने वाले पक्षकार/पक्षकारों द्वारा क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष विवाद उत्पन्न होने की दिनांक से अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर विवाद के विवरण के साथ **प्रपत्र–च** में आवेदन किया जा सकेगा।

(2) न्यायाधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई

वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी।

धारा 24 के अधीन नाम परिवर्तन एवं समामेलन

25. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा अपने सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून की सहमति से अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ समामेलित हो सकेंगे।

(3) नाम परिर्वतन और विलय की प्रत्येक सूचना लिखित में दी जाएगी। नाम परिवर्तन के मामले में, नाम बदलने वाले व्यवसाय संघ के सचिव और सात सदस्यों द्वारा और विलय के मामले में, उसमें शामिल प्रत्येक व्यवसाय संघ के सचिव और सात सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। यह सूचना पंजीकृत डाक अथवा ईमेल के माध्यम से रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। यदि विलयित व्यवसाय संघ का मुख्यालय किसी अन्य राज्य में स्थित है, तो सूचना उस राज्य के रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। साथ ही नाम परिवर्तन या विलय के संबंध में लिए गए निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्यों का विवरण भी भेजा जाएगा। यह सूचना निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने और संबंधित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के दो सप्ताह के भीतर भेजी जाएगी।

(4) यदि प्रस्तावित नाम वही है, जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों को धोखे में पड़ जाना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा।

(5) उपनियम (4) में यथा उपंबधित के सिवाय रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन

के बारे में संहिता/नियमावली के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, तो वह नाम का परिवर्तन धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(6) जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, उनके रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में संहिता/ नियमावली के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्द्वारा बना है वह धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारी के दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरूद्ध की गयी किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटिपूर्ण बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रांरभ की जा सकेगी।

(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विघटन के पश्चात् निधियों का वितरण

26. (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है तब विघटन की सूचना जिस पर उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे विघटन के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार

किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते है, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच, सदस्यों द्वारा सदस्यता की अवधि में जमा किये गये अंशदान के अनुपात में वितरित करेगा।

धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी

27. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ–

(क) रजिस्ट्रार को **प्रपत्र–छ** में वार्षिक विवरणी, जिसमें व्यवसाय संघ द्वारा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं व्यय ऐसी रीति से तथा ऐसे व्यक्ति जैसा विहित किया जाय के द्वारा संप्रेक्षित विवरण एवं 31 दिसम्बर को विद्यमान परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विवरण दिया गया हो, अगले वर्ष की 31 जनवरी या इससे पूर्व तक प्रेषित करेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण, जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट है, व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के परिवर्तन दर्शित की जाएंगी, के साथ व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी उप रजिस्ट्रार को, जो प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी, अग्रेषित करेगी।

(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 99 के अन्तर्गत किसी व्यवसाय संघ के नियमों में परिवर्तन के लिए किए गए आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, यदि उसे यह मानने का कोई कारण न हो कि परिवर्तन इन नियमों में निर्धारित तरीके से नहीं किया गया है, तो इस उद्देश्य के लिये रखे गए रजिस्टर में परिवर्तन को दर्ज करेगा और व्यवसाय संघ के सचिव को इसकी सूचना देगा। नियमों में परिवर्तन के लिए पंजीकरण के लिये देय शुल्क एक साथ किए गए प्रत्येक परिवर्तन के लिए 200 रूपये होगा।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपनियम (1) के खण्ड (क) तथा (ख) तथा उपनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघ से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा।

अध्याय–5
स्थायी आदेश

धारा 30 कि उपधारा (3) के अधीन प्रमाणक अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति

28. (1) यदि नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणक अधिकारी को औद्योगिक स्थापन/उपक्रम के प्रारंभ होने की दिनांक से छः माह के भीतर इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक से उस विशिष्ट दिनांक से जिसमें से आदर्श स्थाई आदेश के प्रावधान जो उसकी स्थापना हेतु प्रासंगिक हैं, को अपनाया गया है, सूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) में जानकारी प्राप्त होने पर, ऐसे प्राप्त होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता अधिकारी नियोजक को उल्लिखित प्रासंगिक प्रावधानों

को सम्मिलित करने हेतु निर्देशित करेगा तथा मॉडल के उन प्रासांगिक प्रावधानों को इंगित करेगा जिन्हें अपनाया नहीं गया है तथा नियोजक को इस तरह की निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जोड़, विलोपन या संशोधन के माध्यम से स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश भी देगा तथा केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा जो प्रमाणक अधिकारी को आदेश संशोधित करने हेतु चाहिए तथा इस तरह की रिपोर्ट को नियोजक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(3) यदि उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणक अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो, स्थायी आदेश को नियोजक द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।

प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति जहाँ धारा 30 के उपधारा (5) के खण्ड (ii) के अधीन कोई व्यवसाय संघ परिचालन में नहीं है

29. जहाँ धारा 30 की उपधारा (5) के खंड (ii) में उल्लिखित ऐसा कोई व्यवसाय संघ नहीं है, तो, प्रमाणकर्ता अधिकारी चार प्रतिनिधियों को चुने जाने के लिए निरीक्षक–सह–सुकरकर्ता को निर्देशित करेगा, जिसे वह ऐसे चुने जाने पर आपत्तियों हेतु स्थायी आदेश की एक प्रति प्रतिनिधियों को भेजेगा, यदि कोई है जिसे कर्मचारी स्थायी आदेश के मसौदे में बनाने की इच्छा करें, नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की रीति

30. धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश, स्थायी आदेशों में संशोधन, या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतिया जैसा भी मामला हो, प्रमाणतकर्ता अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी, तथा सभी संबंधितों को इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत/स्पीड पोस्ट से एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा, परंतु धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले

में प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे मामले में जहां नियोजक ने मॉडल स्थायी आदेश को अपनाने को प्रमाणित किया गया हो।

धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ दिया जाने वाला विवरण

31. (1) प्रारूप स्थायी आदेश में विवरण जैसे कि औद्योगिक स्थापन या संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई–मेल पता, संपर्क नंबर व उसमें काम करने वाले श्रमिकों का विवरण तथा व्यवसाय संघ का विवरण जिसमें ऐसे श्रमिक संबंधित हैं। तथा

(2) विद्यमान प्रारूप स्थायी आदेशों में संशोधन में ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें एक सारणीबद्ध विवरण के साथ संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थायी आदेश के प्रत्येक प्रासंगिक प्रावधान का विवरण, प्रस्तावित संशोधन का विवरण व उसके कारण शामिल है तथा ऐसे कथन पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन नियोजकओं के समूह द्वारा समान प्रतिष्ठान में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें

32. समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगे नियोजक के समूह के मामलों में धारा 30 के अधीन तथा संबंधित व्यवसाय संघ या कर्मकारों के प्रतिनिधियों, यदि वहां कोई संघ नहीं है, से परामर्श के बाद उपधाराओं (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए एक संयुक्त स्थायी आदेश प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं

धारा 32 के अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निराकरण की रीति–

33. (1) नियोजक या व्यवसाय संघ या कर्मकार, जो अपील करने का इच्छुक हैं, धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन दिए गए प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सारणीबद्ध रूप में अपील का एक ज्ञापन जिसमें स्थायी आदेशों के ऐसे प्रावधान जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाए जाने या जोड़े जाने की आवश्यकता है तथा कारणों को अपीलीय प्राधिकारी को इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई हेतु एक तारीख निश्चित करेगा तथा इसके लिए निम्नांकित को सूचना देने हेतु निर्देश देगा–

(क) जहां अपील नियोजक या कर्मकार द्वारा दायर की जाती है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के व्यवसाय संघ, नियोजक को, अथवा संबंधित कर्मकारों के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को;

(ख) जहां अपील एक व्यवसाय संघ द्वारा दायर की जाती है, तो नियोजक तथा औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के अन्य व्यवसाय संघों को, तथा

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, नियोजक को एवं अन्य ऐसे कर्मकारों को जिन्हें अपील प्राधिकारी पक्षकार के रूप में सम्मिलित करें।

(3) अपीलार्थी प्रत्येक उत्तरदाता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है, जो अपील के निराकरण हेतु आवश्यक है।

(5) अपील की सुनवाई हेतु उपनियम (2) के अधीन नियत तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी साक्ष्यों को पत्रावली का भाग बनाने के उपरांत और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राप्त होने के साठ दिवसों के भीतर आदेश पारित करेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी उपनियम (5) के अन्तर्गत पारित आदेश को सात दिवसों के भीतर उसकी प्रति प्रमाणनकर्ता अधिकारी, नियोजक और व्यवसाय संघ या कर्मकारों के नियत प्रतिनिधियों को प्रेषित करेगा।

(7) इस अध्याय के उददेश्य के लिए प्रमाणनकर्ता अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित किये जाएगें।

धारा 33 के अधीन स्थायी आदेश को बनाए रखने की भाषा एवं रीति

34. (1) प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश धारा 30 के अधीन डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले को छोड़कर इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत मॉडल स्थायी आदेश के रूप में स्थायी आदेश की भाषा नियोजक द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा और स्थापन के किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किए जाने पर, आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर रू0 2.00 प्रति पेज के भुगतान पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

धारा 34 के अधीन स्थायी आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति हेतु रजिस्टर एवं प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए शुल्क

35. (1) प्रमाणकर्ता अधिकारी इलैक्ट्रौनिक रूप से या हस्तलिखित एक रजिस्टर **प्रपत्र–ज** पर बनाए रखेगा, जो परस्पर सभी औद्योगिक स्थापनों के सत्यापित किये गये स्थायी आदेश या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत आदर्श स्थायी आदेशों का है, जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होगाः–

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को दी गयी विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की दिनांक अथवा मानद प्रमाणन की दिनांक अथवा आदर्श स्थायी आदेश को अंगीकृत करने की दिनांक;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; तथा

(च) स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई अन्य विवरण तथा ऐसे सभी स्थायी आदेशों के डेटा बेस का निर्माण करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी, आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थायी आदेशों, जैसा भी मामला हो, को प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजार्थ भुगतान इलैक्ट्रौनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

धारा–35 के अन्तर्गत स्थायी आदेश के संशोधन हेतु आवेदन

36. (1) धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विद्यमान स्थायी आदेश में संशोधन के लिए आवेदन **प्रपत्र–झ** में सारणीबद्ध तालिका, जिसमें प्रवृत स्थायी आदेशों के प्रासांगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के विवरण सहित, संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थायी आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें, इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। प्रमाणकर्ता अधिकारी स्थायी आदेशों के संशोधन हेतु आवेदन प्राप्ति के साठ दिवसों के भीतर आदेश निर्गत करेगा।

(2) जहां संशोधन हेतु कोई आवेदन कर्मकार से प्राप्त होता है, प्रमाणकर्ता अधिकारी औद्योगिक स्थापन के जहां कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ विद्यमान हैं, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करेगा। यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, तो नियम–37 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर कर्मकार के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा।

(3) कर्मकार से संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इसे संघ के प्रतिनिधि या चुने गये प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को राय जानने के लिए भेजा जाएगा।

(4) संशोधन के वांछित प्रमाणन की कार्यवाही केवल इस सीमा तक कि संशोधन व्यवसाय संघ के प्रतिनिधियों

या चुने गये प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, के द्वारा अनुमोदित है और ऐसा व्यवसाय संघ या प्रतिनिधि प्रमाणन की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व कर रहे हों, संशोधन स्वीकार किया जाएगा।

(5) संहिता और नियम के अन्तर्गत सभी नोटिस, अधिसूचनांए और आदेश सम्बन्धित पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत पावती पत्र या इलैक्ट्रौनिक मेल या विशेष सन्देश वाहक द्वारा भेजे जाएंगे। बाद के मामले में, अन्य संबंधित पक्ष या सम्बन्धित पक्ष की ओर से पहुंच की प्राप्ति, प्राप्तकर्ता से लिखित पावती ली जाएगी।

अध्याय–6
परिवर्तन की सूचना

धारा 40 के खण्ड (i) के अधीन प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस देने की रीति

37. (1) कोई भी नियोजक इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी भी कर्मकार हेतु लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कर्मकार को **प्रपत्र–ञ** में नोटिस देगा।

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित नोटिस को नियोजक द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के सदृश स्थान पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में लगाया जायेगाः

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, ऐसे नोटिस की प्रति भी ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे संघों के प्रत्येक सचिवों को भी दी जाएगी।

अध्याय–7
मध्यस्थता हेतु विवादों का स्वैच्छिक सन्दर्भ

धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन

38. (1) जहां नियोजक और कर्मकार विवाद को माध्यस्थम हेतु संदर्भित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वहां

माध्यस्थम करार का प्ररूप एवं उसकी रीति

माध्यस्थम करार **प्रपत्र–ट** में होगा तथा करार के पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। करार के साथ माध्यस्थम अथवा मध्यस्थता की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी।

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित माध्यस्थम करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगेः–

(i) नियोजक के मामले में, नियोजक द्वारा स्वयं, या जब नियोजक एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय कॉर्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के अभिकर्ता, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा;

(ii) कर्मकारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कर्मकारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) व्यक्तिगत कर्मकार के मामले में, कर्मकार द्वारा स्वयं या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका कर्मकार सदस्य है;

स्पष्टीकरण– इस नियम में 'अधिकारी' से निम्नलिखित में से कोई अधिकारी अभिप्रेत हैः –

(क) अध्यक्ष;
(ख) उपाध्यक्ष;
(ग) सचिव (महासचिव सहित);
(घ) संयुक्त सचिव; तथा
(ङ) व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी, जो संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत हैं।

धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन

39. जहां किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम् हेतु संदर्भित किया गया है एवं राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि संदर्भ करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते

अधिसूचना जारी करने की रीति

हैं, वह आधिकारिक गजट में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी। जहां इस प्रकार की अधिसूचना जारी की जाती है एवं नियोजकों और ऐसे कर्मकारों जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं हैं, किन्तु विवाद से संबंध रखते हैं, द्वारा माध्यस्थम् के समक्ष अपना पक्ष रखने के इच्छुक है वह अधिसूचना जारी होने के अधिकतम 45 दिनों की अवधि में इलैक्ट्रौनिक/रजिस्ट्रर्ड/स्पीड डाक से आवेदन करेंगे।

श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है

40. जहां व्यवसाय संघ नहीं है, श्रमिकों के प्रतिनिधि को धारा 42 के उपधारा (5) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में माध्यस्थम् या माध्यस्थ्मों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने हेतु कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन सम्बन्धित कर्मकारों के बहुमत द्वारा **प्रपत्र–ठ** में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कर्मकार, प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें माध्यस्थम् या माध्यस्थमों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

अध्याय–8
औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तन्त्र

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही करने की रीति, उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट, तथा उपधारा (6) के अधीन आवेदन का प्रपत्र एवं इस आवेदन पर निर्णय लेने की रीति

41. (1) (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या जहां विवाद होने की आशंका हो या धारा 62 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो, वहां सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन की जांच करेगा और यदि वह उचित समझे तो संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि वह सुलह संबंधी कार्यवाही आरम्भ करने का इरादा रखता है।

(2) पहली बैठक में नियोजक या कर्मकार के प्रतिनिधि कथित विवाद के मामले से संबंधित अपने–अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(3) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और ऐसे

सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए उपयुक्त समझता है।

(4)(i) किसी औद्योगिक विवाद पर सुलह अधिकारी के समक्ष संराधन कार्यवाही या न्यायाधिकरण/अधिकरण के समक्ष औद्योगिक विवाद की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कोई नियोजक :–

(क) विवाद से जुड़े संबंधित मामले में ऐसे विवाद से संबंधित कर्मकारों पर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व लागू सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करेगा,

(ख) प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित हो, की लिखित अनुमति को छोड़कर विवाद से सम्बन्धित कर्मकार को किसी कदाचार के कारण बर्खास्तगी या किसी अन्य कारण से हटाने या दण्डित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

(ii) ऐसी कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, ऐसे विवादों पर, नियोजक कर्मकारों पर लागू स्थायी आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :–

(क) ऐसे मामलों जो कि विवाद से सम्बन्धित न हों, में ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी कर्मकार पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार परिवर्तन, या

(ख) किसी ऐसे कदाचर जोकि विवाद से संबंधित न हो, के कारण कर्मकार को हटाना या दण्डित करना, चाहे बर्खास्तिगी या अन्यथा :

परन्तु यह कि ऐसे कर्मकार को तब तक हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे, उस माह का वेतन और नियोजक द्वारा एक आवेदन उस सुलह अधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, को नियोजक द्वारा की गयी कार्यवाही की स्वीकृति हेतु न दे दिया गया है।

(iii) उपरोक्त उपखण्ड (II) में किसी बात के होते हुए भी किसी औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान विवाद से संबंधित संरक्षित कर्मकार के विरूद्ध, नियोजक कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(क) किसी संरक्षित कर्मकार के प्रति ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उस पर लागू सेवा शर्तों में प्रतिकूल परिवर्तन द्वारा

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को बर्खास्त करना या अन्य कार्यवाही द्वारा हटाना या दण्डित करना। ऐसे प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित अनुमति को छोड़कर।

(iv) जहां नियोजक द्वारा उपरोक्त उपखण्ड (ii) के उपबंध के अन्तर्गत अधिकरण को उसके द्वारा कृत कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, संबंधित प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर बिना विलम्ब के सुनवाई करेगा और उस आवेदन प्राप्ति के तीस दिवसों के भीतर, जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा।

(v) न्यायाधिकरण/अधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जहां नियोजक उपखण्ड (iii) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन से व्यथित कोई भी कर्मकार न्यायाधिकरण/अधिकरण को विहित रीति से लिखित शिकायत कर सकता है जैसी भी स्थिति हो और शिकायत प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण/अधिकरण उसे सन्दर्भित विवाद या लंबित विवाद की संहिता के अनुसार न्याय/निर्णयन की कार्यवाही करेगा और संहिता के अन्तर्गत अधिनिर्णय राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(5)(1)(i) जहां नियोजक से किसी कर्मकार को किसी समझौते या अधिनियम या न्याय निर्णायक द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के अधीन या राज्य सरकार द्वारा संहिता के अन्तर्गत नियुक्त या गठित राज्य औद्योगिक

न्यायाधिकरण/अधिकरण द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के द्वारा धनराशि देय है, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूली हेतु एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को देगा, और यदि राज्य सरकार को सामाधान हो जाता है कि यह धनराशि देय है, तो वह उस धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी करेगी, जोकि उसे भू–राजस्व की भांति वसूली करने की कार्यवाही करेगा।

(ii) जहां कर्मकार नियोजक से कोई लाभ जोकि धनराशि के रूप में संगणनीय है, ऐसी धनराशि की गणना राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अधिकरण द्वारा अवधारित की जाएगी और यह अवधारित धनराशि उपरोक्त खण्ड (i) के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(iii) लाभ की धनराशि की गणना के प्रयोजन से न्यायाधिकरण/अधिकरण यदि उचित समझे, तो विहित रीति से किसी आयुक्त को नियुक्त कर सकेगा। जोकि ऐसे आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट न्यायाधिकरण को देगा और न्यायाधिकरण आयुक्त की रिपोर्ट और वाद की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत धनराशि अवधारित करेगा।

(2) कोई भी विवाद जो सुलह कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं जाता है, तो, संबंधित पक्षकार में से कोई भी न्यायाधिकरण/अधिकरण के समक्ष **प्रपत्र–ड** में या उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट की तारीख से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(3) ऐसे औद्योगिक विवाद के मामले में, जिसे सुलह की कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं गया है, अधिनिर्णय हेतु संबंधित पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा न्यायाधिकरण/अधिकरण के समक्ष एक आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधिकरण/अधिकरण विवाद उठाने

वाले पक्षकार को निर्देश देगा कि प्रासंगिक दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची तथा साक्ष्यों व जिस तारीख पर आवेदन दायर किया गया है, उससे तीस दिनों के भीतर पूरे विवरण के साथ दावे का विवरण दर्ज करे। विवाद में दोनों पक्षकारों में से प्रत्येक को ऐसे बयान की एक प्रति इलैक्ट्रौनिक या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(4) न्यायाधिकरण/अधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि दावे के विवरण की प्रतियां और अन्य संबंधित दस्तावेज विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को दे दिये गये हैं, न्यायाधिकरण/अधिकरण पहली सुनवाई की तारीख जल्द से जल्द तय करेगा और आवेदन प्राप्ति की दिनांक से एक माह के भीतर सुनवाई की पहली दिनांक सुनिश्चित करेगा। प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकार अपने लिखित बयान को समर्थन के दस्तावेजों और उसकी सूची तथा साक्ष्यों की सूची, यदि कोई हो, सुनवाई की पहली तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल करेंगे और साथ साथ उसकी एक प्रति, प्रतिवादी पक्ष या पक्षों को अग्रेषित करेंगे।

(5) जहाँ न्यायाधिकरण/अधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाला पक्ष उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण की एक प्रति और अन्य दस्तावेज प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकारों को प्रेषित नहीं की गयी है, यदि न्यायाधिकरण/अधिकरण दावे के विवरण और अन्य दस्तावेज समयान्तर्गत दाखिल न किए जाने के पर्याप्त कारण पाता है, तो न्यायाधिकरण, संबंधित पक्षकार को विवरण की प्रति, पन्द्रह दिवसों के अन्दर प्रतिवादी पक्षकार या पक्षकारों को देने के निर्देश देगा।

(6) साक्ष्य या तो औद्योगिक न्यायाधिकरण में दर्ज किए जाएंगे या शपथपत्र पर दायर किए जा सकते हैं, किन्तु शपथपत्र के मामले में प्रतिवादी पक्ष को शपथपत्र दाखिल करने वाले प्रत्येक शपथकर्ता से प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा। जहां प्रत्येक साक्षी की

मौखिक परीक्षा हो गयी हो वहां न्यायाधिकरण/ अधिकरण दिये गये साक्ष्य का सार का ज्ञापन बनाएगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण, सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के लिए पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

समझौता के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

42. सुलह अधिकारी के समक्ष सुलह कार्यवाही से या अन्यथा हुए समझौते के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन समझौते के पक्षकारों द्वारा या उनमें से किसी एक को समझौता होने की दिनांक के एक माह के भीतर, क्षेत्र के सबन्धित सुलह अधिकारी को पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक से या दस्ती प्रेषित किया जाएगा। समझौते के ज्ञापन की एक प्रति समझौते के पक्षकारों द्वारा सम्बन्धित स्थापन के प्रवेश द्वार या द्वारों के निकट लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और यह समझौते के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की दिनांक के पूर्व सात दिवसों की अवधि तक चस्पा रहेगा।

समझौते के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

43. समझौते के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकारी, यदि वह, यह आवश्यक समझता है, तो इसकी जांच करा सकता है। यदि जांच के बाद सुलह अधिकारी या संबंधित प्राधिकारी समझौते के रजिस्ट्रीकरण का निर्णय करता है, तो समझौता का पंजीयन **प्रपत्र–ण** में दर्ज करेगा और समझौते के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र **प्रपत्र–त** में समझौते के सभी पक्षकारों को, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिवसों के अन्दर निर्गत किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी समझौते का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करता है, तो इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के कारणों सहित, समझौते के सभी पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण के आवेदन प्राप्ति की दिनांक के, जो तीस दिवस से अधिक न हो, के भीतर, एक सूचना दी जाएगी। समझौता

रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा समझौते के रजिस्ट्रीकरण या इन्कार किए जाने की सूचना, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित क्षेत्र के सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को रजिस्ट्रीकरण के सात दिवसों के अन्दर प्रेषित की जाएगी।

व्यक्तियों जिन पर अधिनिर्णय (एवार्ड) बाध्यकारी होगा

44. अधिनिर्णय (एवार्ड) प्रवर्तनीय होने पर निम्न पक्षों पर बाध्यकारी होगा–

(क) औद्योगिक विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों पर,

(ख) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित एक पक्ष नियोजक है, उसके वारिस, उत्तराधिकारी या उस स्थापन का समनुदेशिती जोकि औद्योगिक विवाद से संबंधित हो,

(ग) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित पक्ष कर्मकारों से बना है, सभी व्यक्ति, जो स्थापन में या स्थापन के किसी भाग में नियोजित रहे हों, जैसा भी मामला हो, जिनसे विवाद संबंधित है और सभी व्यक्ति जो बाद में स्थापन या किसी हिस्से में नियोजित हुए हों उन सभी पर।

अध्याय–9
हड़ताल और तालाबंदियां

धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन हड़ताल का नोटिस देने की रीति

45. धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल का संदर्भित नोटिस **प्रपत्र–थ** में औद्योगिक स्थापन के प्रमुख (प्लांट हेड) या प्रबंधक को दिया जाएगा, जो कि पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव अथवा जहां पंजीकृत संघ न हो वहां स्थापन के एक तिहाई कर्मकारों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिसकी प्रतियां संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य ऐसे प्रकार से, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, दी जाएगी।

धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन

46. (1) धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी का नोटिस औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा **प्रपत्र–द**

तालाबंदी की सूचना देने की रीति व उपधारा (6) के अधीन प्राधिकरण

में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, के सचिव को, जो ऐसे औद्योगिक स्थापन से संबंधित हो, को दिया जाएगा जिसकी प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य माध्यम से भेजी जाएगी। यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, तो नियोजक द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलैक्ट्रौनिक बोर्ड पर नोटिस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और कार्य समिति के श्रमिक प्रतिनिधियों को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर इलैक्ट्रौनिक रूप से सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त राज्य के श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इसकी सूचना देगा।

(3) यदि नियोजक अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की दिनांक से पांच दिनों के भीतर, इलैक्ट्रौनिक रूप से या अन्य प्रकार से संबंधित सुलह अधिकारी और क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को सूचित करेगा।

अध्याय–10
कामबंदी, छंटनी और बंदी

धारा 70 के खण्ड (ग) के अधीन कर्मकार की छंटनी से पहले नोटिस देने की रीति

47. यदि कोई भी नियोजक अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कर्मकार को, जो निरन्तर एक वर्ष से अधिक उसके अधीन सेवा में रहा हो, की छंटनी करना चाहता है, तो ऐसा नियोजक **प्रपत्र–ध** में, इस तरह की छंटनी का नोटिस राज्य सरकार एवं ऐसे प्राधिकारी जोकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नामित किया जाए, को प्रस्तावित छंटनी से कम से कम 15

दिवस पूर्व ईमेल और रजिस्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

धारा 72 के अधीन छंटनी किए गए कर्मकारों को पुनः रोजगार के अवसर देने की रीति

48. (1) नियोजक द्वारा उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी अपेक्षित है, तथा उन्हें उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

(2) जब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी रिक्ति को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्व ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकारों की छंटनी की गई हो, जो ऐसे प्रतिष्ठान का नियोजक, यदि ऐसे कर्मकार भारत के नागरिक है और उन्होंने नियोजन के लिए इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता देगा।

(3) नियोजक, औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर लगे नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों का विवरण, रिक्तियों को भरे जाने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से सभी पात्र छंटनी किये गये कर्मकारों को उनके द्वारा छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय दिए गए नवीनतम पते या ईमेल पर रिक्तियों की सूचना देगाः

परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि यदि नियोजक द्वारा उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मकारों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी होः

परन्तु यदि रिक्ति एक महीने से कम अवधि में भरी जानी हो, तो नियोजक पर ऐसी रिक्तियों की सूचना छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से भेजने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परन्तु यदि कोई छटनी किया गया कर्मकारों, नियोजक को लिखित रूप से पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उपनियम के तहत नियोजक द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तिथि या तिथियों पर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोजक उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों की सूचना नहीं दे सकता है।

(4) उपनियम (3) के प्रावधानों के अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोजक, औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंद्ध वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद् के घटक या व्यवसाय संघों को, रिक्तियों की संख्या और उन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नामों की भी सूचना देगा, जिन्हें उस उपनियम के अंतर्गत सूचना भेजी गई है।

धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक प्रतिष्ठान के बंदी का नोटिस देने की रीति

49. (1) यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करना चाहता है, तो वह धारा 74 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर **प्रपत्र–ध** में राज्य सरकार को इस तरह की बंदी का नोटिस देगा और उसकी प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य के श्रम आयुक्त को ईमेल और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

जहां बंदी के ऐसे आवेदन के नोटिस को केवल रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है, तो राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक, सूचना दिए जाने की दिनांक मानी जाएगी;

(2) किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम बंद करने के पूर्व अनुमति के आवेदन की प्रति स्थापन में कार्यरत सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के अध्यक्षों या सचिवों को

व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करायी जाएगी और जहां यह व्यवहारिक न हो, ई मेल द्वारा और रजिस्ट्रीकृत पावती डाक द्वारा प्रेषित की जाएगी;

(3) किसी औद्योगिक स्थापन के उपक्रम बंद करने के पूर्व अनुमति के आवेदन की प्रति सम्बन्धित स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वारा पर भी चस्पा की जाएगी।

अध्याय–11

कतिपय प्रतिष्ठानों में काम बंदी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

कामबंदी के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कर्मकारों को ऐसे आवेदन की प्रति देने की रीति

50. धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन नियोजक द्वारा **प्रपत्र–न** में स्पष्ट रूप से कामबंदी (ले–आफ) के बताए गए अभीष्ट कारणों सहित राज्य सरकार को दी जाएगी और साथ–साथ नियोजक द्वारा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकार को इलैक्ट्रौनिक माध्यम से और पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जाएगी। नियोजक द्वारा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित सूचना बोर्ड या इलैक्ट्रौनिक बोर्ड पर अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय–सीमा

51. (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 78 की उपधारा (4) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश की पुनर्विलोकन कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है, वहाँ

वह आदेश जारी होने की दिनांक से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी।

धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा छंटनी के इरादे से राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की रीति

52. (1) यदि कोई नियोजक स्थापन में नियोजित किसी कर्मकार, जिसकी सम्बन्धित नियोजक के स्थापन में निरन्तर सेवा एक वर्ष से कम न हो, की छंटनी करना चाहता है, तो वह ऐसी छंटनी संबंधी सूचना राज्य सरकार को देगा।

(क) जहां नोटिस कर्मकार को दिया जाना है, नोटिस उसी दिन जिस दिन कर्मकार को दिया गया है, सम्बन्धित अधिकारी को भेजा जाएगा; और

(ख) जहां कर्मकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है और उसे नोटिस के बदले में एक माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, कर्मकार की छंटनी सम्बन्धी नोटिस उसी दिन, जिस दिन वेतन का भुगतान कर्मकार को किया गया है, भेजा जाएगा।

(ग) जहां किसी समझौते के तहत छंटनी की जा रही है या की जानी है, जिसमें सेवा समाप्ति की दिनांक निर्दिष्ट है, वहां छंटनी की सूचना छंटनी की दिनांक से कम से कम एक महीने पहले दी जायेगी। यदि समझौते की तिथि से छंटनी की तिथि तक की अवधि एक महीने से कम है, तो छंटनी की सूचना उस दिनांक को भेजी जाएगी, जिस दिनांक को समझौता हुआ है।

(2) नियोजक द्वारा यदि किसी श्रेणी विशेष के कर्मकारों की छंटनी की जानी है, तो उस श्रेणी में सेवा की वरिष्ठता के अनुसार सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की दिनांक से कम से कम सात दिवस पूर्व औद्योगिक स्थापन के परिसर में लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

(3) नियोजक, कर्मकार की छंटनी किए जाने से पूर्व पुनः नियोजन हेतु सूचना देने के प्रयोजन से कर्मकार के द्वारा लिखित में दिए गए पते, जिसमें उस कर्मकार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगी हो, प्राप्त करेगा।

(4) धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन नियोजक द्वारा **प्रपत्र–न** में स्पष्ट रूप से छंटनी के सम्बन्ध में बताए गए अभीष्ट कारणों सहित किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकार को इलैक्ट्रौनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी। तथा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में सहदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय–सीमा

53. (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इन्कार करने वाले अपने आदेश की पुनर्विलोकन कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की दिनांक में एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की दिनांक से दो महीने

की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी।

धारा 80 के उपधारा (1) के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति देने की रीति

54. संहिता के अध्याय 10 के अन्तर्गत आने वाले किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखने वाला नियोजक, प्रस्तावित बंद की तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य सरकार को **प्रपत्र–न** में पूर्व अनुमति के लिए इलैक्ट्रौनिक रूप से आवेदन करेगा। आवेदन में प्रस्तावित बंद के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए और साथ ही ऐसे आवेदन की प्रति इलैक्ट्रौनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी भेजी जाएगी। आवेदक द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक स्थापन के मुख्य द्वार पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में लगे नोटिस बोर्ड पर तथा इलैक्ट्रोनिक बोर्ड पर दर्शाया जायेगा।

धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय– सीमा

55. (1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, संहिता की धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन दी गयी अनुमति या अनुमति से इन्कार किए जाने संबंधी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की दिनांक से तीस दिन के भीतर, आदेश की पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी।

(3) जहाँ राज्य सरकार स्वप्रेरणा से उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश की पुनर्विलोकन करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की दिनांक से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तिथि मे दो महीने की अवधि के भीतर ऐसे पुनर्विलोकन का निपटारा कर सकेगी।

अध्याय–12
कर्मकार पुनःकौशल निधि

कर्मकार पुनःकौशल निधि में अन्य स्रोतो से किया जाने वाला अनुदान

56. कर्मकार पुनःकौशल निधि में संहिता की धारा 83 (2) (क) में नियोजक से प्राप्त होने वाले योगदान के अतिरिक्त, किसी अधिष्ठान/कम्पनी द्वारा स्वेच्छा से कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अन्तर्गत किसी प्रकार का योगदान अथवा अन्य वैधानिक स्रोतों, जिनका राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सामान्य आदेश में उल्लेख हो, से धनराशि जमा की जाएगी।

कर्मकार पुनःकौशल निधि का उपयोग की रीति

57. (1) प्रत्येक नियोजक, जिसने संहिता के तहत अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की है, ऐसी छंटनी की तारीख से दस दिनों के भीतर, ऐसी छंटनी किए गए कर्मकार या कर्मकारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि को इलैक्ट्रौनिक रूप से संहिता की धारा 83 (1) में गठित निधि के खाते में स्थानानन्तरित करेगा।

(2) उपनियम (1) के तहत प्राप्त धनराशि को श्रम आयुक्त कार्यालय/उप श्रम आयुक्त कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा छंटनी किए गए प्रत्येक कर्मकार के खाते या छंटनी किए गए श्रमिकों के खातों में जैसा भी मामला हो, छंटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर इलैक्टौनिक रूप से हस्तांतरित किया जाएगा ताकि वह उस राशि का उपयोग अपने पुनःकौशलीकरण के लिए कर सके।

(3) नियोजक को प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकारों का नाम, उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त किए गए पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि और उसके बैंक खाते का विवरण श्रम आयुक्त कार्यालय/उप श्रम आयुक्त कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत कराना होगा।

अध्याय–13
अपराध और दंड

धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध की संरचना की रीति और धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन अपराध के उपशमन के लिए आवेदन करने की रीति

58. (1) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात् शमन अधिकारी कहा गया है), यदि उसकी यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन शमन अनुज्ञेय है और जिनमें अभियोजन संस्थित नहीं किया गया है, वह विभाग के पोर्टल या किसी अन्य माध्यम से तीन भागों में **प्रपत्र–प** में अभियुक्त को नोटिस भेजेगा।

(2) **प्रपत्र–प** में भाग– I में शमन अधिकारी, अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा–

(क) अभियुक्त का नाम और उसके अन्य विवरण;

(ख) अपराध का विवरण और धारा जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है, और

(ग) ऐसे अपराध के शमन के लिए भुगतान की जाने वाली शमन राशि।

(3) **प्रपत्र–प** के भाग–II में, शमन अधिकारी अपराध का शमन न किये जाने पर उसके परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और उक्त प्रपत्र के भाग–III में अभियुक्त के द्वारा यदि वह अपराध के शमन का इच्छुक है तो आवेदन पत्र को भरे जाने का उल्लेख किया जाएगा।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस की एक विशिष्ट क्रमांक संख्या होगी जिसमें अक्षर या संख्या और अन्य विवरण सहित जैसे नोटिस भेजने वाले अधिकारी, औद्योगिक स्थापन वर्ष, स्थान तथा आसान पहचान के प्रयोजन के लिए निरीक्षण का प्रकार के विवरण।

(5) जिन अभियुक्तों को उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस भेजा गया है, वे उसके द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग–III को विधिवत् रूप से भरकर शमन अधिकारी को भेज सकते हैं और शमन राशि को इलैक्ट्रौनिक या अन्य

माध्यम से नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर शमन अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लेख किए गए खाते में जमा कर सकते हैं।

(6) जहां अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अभियोजन सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जा चुका है, वह न्यायालय में उसके विरूद्ध अपराध के शमन के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के उपरांत, धारा 89 के प्रावधानों के अन्तर्गत शमन अधिकारी द्वारा अपराध की शमन किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(7) यदि अभियुक्त उपनियम (2) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो शमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि से अपराध का शमन करेगा और:–

(क) यदि अभियोजन से पूर्व शमन किया जाता है तब अभियोजन के लिए अभियुक्त के विरूद्व अभियोजन का परिवाद संस्थित नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उपनियम (3) के अधीन अभियोजन दायर करने के उपरांत शमन किया जाता है, तो, शमन अधिकारी इस मामले को समाप्त मान लेगा जैसे कि कोई अभियोजन दायर ही नहीं किया गया था और शमन की कार्यवाही खण्ड (क) के अनुसार करते हुए सक्षम न्यायालय, जहां अभियोजन लंबित है, को अपराध के शमन किए जाने की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और अभियोजन समाप्त कर देगा।

(8) शमन अधिकारी राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, इस नियम के अधीन अपराध को शमन करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–14
विविध

संरक्षित कर्मकार

59. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, जो औद्योगिक स्थापन से जुड़ा हो, और जिस पर संहिता लागू है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले ऐसे संघ के पदाधिकारियों के नाम जो स्थापन में नियोजित हैं और संघ की राय में उन्हें ''संरक्षित कर्मकार'' के रूप में मान्यता दी जानी हो, के संबंध में नियोजक को संसूचित करेगा।

(2) नियोजक , धारा 90 के उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन ऐसे कर्मकारों को धारा 90 के प्रयोजनों के लिए ''संरक्षित कर्मकारों'' के रूप में मान्यता देगा और उपनियम (1) के अन्तर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, सूचना की दिनांक से बारह माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त ऐसे 'संरक्षित कर्मकारों' की सूचना, संघ को देगा।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन नियोजक द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या औद्योगिक स्थापन के लिए अनुमन्य संरक्षित कर्मकारों की संख्या से अधिक है, नियोजक धारा 90 की उपधारा (4) के अधीन, अधिकतम संख्या तक ''संरक्षित कर्मकारों'' को मान्यता देगाः

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, वहां नियोजक द्वारा संघों द्वारा अधिकतम संख्या ऐसे वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कर्मकारों की संख्या व्यावहारिक रूप से एक दूसरे संघ की सदस्यता की संख्या के समान अनुपात में हो। नियोजक, ऐसे मामले में लिखित में प्रत्येक सम्बन्धित संघ के अध्यक्ष या सचिव को संरक्षित कर्मकारों की संख्या के संबंध में सूचित करेगा :

परन्तु यह और कि जहां इस उपनियम के अन्तर्गत एक संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या सुरक्षा की मांग करने वाले संघ के पदाधिकारियों की संख्या से कम होती है। संघ को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा। ऐसा चयन संघ द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोजक का पत्र प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अन्तर्गत 'संरक्षित कर्मकारों' की मान्यता से जुड़े किसी भी मामले में एक नियोजक और किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद संबंधित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त को सन्दर्भित किया जाएगा, जो इस विवाद को सुनेंगे व इस मामले का निर्णय करेगे और जिसका निर्णय अंतिम होगा।

पीड़ित कर्मकार द्वारा शिकायत करने की रीति

60. (1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत को **प्रपत्र–फ** में और शिकायत में जितने प्रतिवादी पक्षकार हों, उतनी प्रतियां संलग्न करते हुए इलैक्ट्रौनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक शिकायत को, शिकायत करने वाले कर्मकार या कर्मकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, जो मामले से सम्बन्धित तथ्यों से भिज्ञ हो, सत्यापित कर सुलह अधिकारी, माध्यस्थम् या औद्योगिक न्यायाधिकरण /अधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

धारा 94 की उपधारा 1(ग) के अधीन किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार की

61. जहां कर्मकार किसी भी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां उस कर्मकार द्वारा किसी विवाद, जिसें वह स्वयं एक पक्षकार है, में उस उद्योग, जिसमें स्वंय नियोजित है, से संबंधित किसी भी व्यवसाय संघ की कार्यकारणी के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी, या उस उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार

ओर से अधिकृत किए जाने की रीति

को विवाद से संबंधित कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए **प्रपत्र–ठ** में अधिकृत किया जा सकता है।

धारा 94 की उपधारा 2 (ग) के अधीन किसी कार्यवाही में नियोजक की ओर से प्रतिनिधि अधिकृत किए जाने की रीति

62. जहां नियोजक, नियोजक के संगम का सदस्य नहीं है, नियोजक के किसी संगम से जुड़ा हुआ पदाधिकारी या कोई अन्य नियोजक जिसे उद्यम में लगे नियोजक की ओर से संहिता के अंतर्गत किसी भी सम्बन्धित विवाद, जिसमें नियोजक पक्षकार है, को वह **प्रपत्र–ठ** में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्र

63. प्रपत्र–थ (हड़ताल की सूचना), प्रपत्र–द (तालाबंदी की सूचना), प्रपत्र–ध (राज्य सरकार को छंटनी या बंदी का नोटिस), प्रपत्र–न (ले–ऑफ या छंटनी या बंदी के लिए आवेदन), और प्रपत्र–प (अपराधों का शमन) इलैक्ट्रौनिक रूप से आटोमोड से महानिदेशक, लेबर ब्यूरो को प्रेषित की जाएगी।

निरसन और व्यावृति

64. (1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली 1957, उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946 उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ विनियम, 1927 तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय प्रक्रिया नियमावली, 1967, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की दिनांक से निरसित हो जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावलियों/विनियामावलियों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई संहिता/नियमावली के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

(3) उपनियम (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधान ऐसे नियमावलियों/विनियमावलियों के निरसन पर लागू होंगे।

प्रपत्र–क

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–2 तथा नियम–3 के अन्तर्गत)

समझौते का ज्ञापन

पक्षों के नाम एवं पते

.....नियोजक का प्रतिनिधि

.....कर्मकार का प्रतिनिधि

विवाद का संक्षिप्त विवरण

.....

.....

समझौते की शर्तें

.....

.....

पक्षों के हस्ताक्षर

नियोजक प्रतिनिधि.....

साक्षी (1).....

(२).....

कर्मकार / कर्मचारी प्रतिनिधि.....

साक्षी (1).....

(२).....

प्रतिलिपि : 1. क्षेत्र के सुलह अधिकारी

2. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड

प्रपत्र–ख

(नियम–9 देखें)

वर्ष..... को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

(यदि संघ, आवेदन की दिनांक से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है, तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

देनदारियां	धनराशि रू0 में	परिसम्पत्तियां	धनराशि रू0 में
सामान्य निधि की धनराशि			
राजनीतिक निधि/ऋण की धनराशि		नकद :	
ऋण.....से		कोषाध्यक्ष के पास	
अन्य देनदारियां (उललेख करें)		सचिव के पास	
कुल देनदारियां		बैंक में जमा	
		प्रतिभूतियां निम्न सूची के अनुसार	
		ऋण की अद्यतन किस्त	
		अचल सम्पत्ति	
		वस्तुंए एवं फर्नीचर	
		अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख किया जाए)	
		कुल परिसम्पत्तियां	

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	सांकेतिक	बाजार मूल्य	वर्तमान मूल्य

कोषाध्यक्ष

सामान्य निधि खाता

आय	धनराशि रू0	व्यय	धनराशि रू0
वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष		पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय,	
सदस्यों से प्राप्त चन्दा, जो सदस्यों द्वारा दान दिया गया पाक्षिक और नियमों के विक्रय आदि		स्थापन के वेतन भत्ते और व्यय	
		लेखा परीक्षक का शुल्क	
		विधिक व्यय	
विविध स्रोतों (स्पष्ट उल्लेख किया जाए) से विनिवेश के ब्याज से प्राप्त आय		व्यवसायिक विवादों से उत्पन्न व्यवसायिक विवादों के प्रतिकर के भुगतान के व्यय	

	अंत्येष्टि, अधिक आयु, बीमारी, बेरोजगारी के लाभ आदि, शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ पाक्षिकों के प्रकाशन का मूल्य किराया दरें एवं कर लेखन–सामग्री, छपाई और डाक–टिकट व्यय (स्पष्ट उल्लेख करना है) अन्य व्यय (स्पष्ट उल्लेख करना है) वर्ष की समाप्ति पर अवशेष
योग	योग

राजनीतिक निधि खाता

	रू0		रू0
वर्ष के प्रारम्भ में शेष		वस्तुओ पर किया गया भुगतान	
सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य की दर से अंशदान		प्रबंधन के खर्चे (उल्लेख किया जाए)	
		वर्ष के अन्त में शेष	
योग		योग	

कोषाध्यक्ष

लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यवसाय संघ के सभी पुस्तकों एवं लेखों के पहुंच तथा पूर्ववर्ती विवरणों का परीक्षण किया गया तथा सत्यापन पर यह सभी सही पाये गये, इन सभी के बीजक बनाये गये और विधि के अनुसार, विषय से स्म्बन्धित टिप्पणी, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न है।

लेखा–परीक्षक

वर्ष के दौरान पदाधिकारियों के निम्न परिवर्तन किये गये, पाये गये –

कार्यालय छोडने वाले पदाधिकारी

नाम	कार्यालय	छोड़ने की दिनांक

नियुक्त किए गये पदाधिकारी

नाम	आयु	कार्यालय	पता	व्यवसाय	नियुक्ति की दिनांक

सचिव

प्रपत्र–ग

व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–9(1) तथा नियम–12 के अन्तर्गत)

दिनांक.....वर्ष

1. हम एक व्यवसाय संघ की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देते हैं जिसका नाम.....है।
2. संघ के प्रधान कार्यालय का पता.....है
3. संघ के प्रधान कार्यालय का ई.मेल .....है।
4. संघ तारीख.....माह.....सन.....को स्थापित हुआ।
5. संघ ऐसे नियोजक/कर्मचारियों का संघ है जो.....के उद्योग/पेशे में नियोजित हैं।
6. नियम 10(1)(क) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–1 में दिया गया है। (संलग्न है)
7. नियम 10(1)(ख) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–2 में दिया गया है। (संलग्न है)
8. नियम 10(2) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–3 में दिया गया है। (संलग्न है)
9. निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ताओं को संघ की आम बैठक दिनांक.....के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन करने को अधिकृत किया गया।

हस्ताक्षर	पद	नियोजन का स्थान	हस्ताक्षरित
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

अनुसूची–1
पदाधिकारियों की तालिका

पदनाम	नाम	आयु	पता	व्यवसाय

टिप्पणी–इस अनुसूची के कालम–1 में कार्यकारिणी के सदस्य के अतिरिक्त, कार्यकारिणी के सदस्यों के पदनाम (उदाहरणार्थ–अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि) दर्ज किया जाये।

अनुसूची–2

विधान के नियमों का हवाला

नियमों में विभिन्न विषयों के लिये नियमों के विषय एवं संख्या का उल्लेख निम्नांकित स्तम्भ–1 एवं 2 में दिया गया है।

विषय	नियमों की सुविधायें
संघ का नाम	
समस्त उद्देश्य जिनके लिये संघ स्थापित किया गया।	
समस्त उद्देश्य जो संघ की सामान्य निधि के लिये लागू होगें।	
सदस्यों की सूची का रख–रखाव	
पदाधिकारियों की सूची के निरीक्षण के लिए सुविधायें	
साधारण सदस्यों का प्रवेश	
विशिष्ट अथवा अस्थाई सदस्यों का प्रवेश	
शर्तें जिनके अन्तर्गत सदस्य नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित लाभों के अधिकारी होगें	
शर्तें जिनके अनुसार जुर्माना या जब्तियां की जा सकती हों या उनका परिवर्तन किया जा सकता हो	
नियमों के संशोधन/परिवर्तन अथवा परित्याग की विधि	
कार्यकारिणी के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों को नियुक्त करने अथवा हटाने की विधि	
कोष की सुरक्षा का समुचित प्रबंध	
वर्षिक लेखा परीक्षा	
पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा लेखा पंजिकाओं के निरीक्षण की सुविधा	
वह विधि जिसके अनुसार संघ को भंग किया जा सकता है।	

अनुसूची–3

मार्च वर्ष..... को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

(यदि संघ, आवेदन की दिनांक से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है, तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

देनदारियां	धनराशि रू0 में	परिसम्पत्तियां	धनराशि रू0 में
सामान्य निधि की धनराशि			
राजनीतिक निधि/ऋण की धनराशि		नकद :	
ऋण.....से		कोषाध्यक्ष के पास	
अन्य देनदारियां (उल्लेख करें)		सचिव के पास	
कुल देनदारियां		बैंक में जमा	
		प्रतिभूतियां निम्न सूची के अनुसार	
		ऋण की अद्यतन किस्त	
		अचल सम्पत्ति	
		वस्तुए एवं फर्नीचर	
		अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख किया जाए)	
		कुल परिसम्पत्तियां	

प्रपत्र–घ

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का पमाण पत्र

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–9(2) तथा नियम–13 के अन्तर्गत)

क्रमांक_____

इस प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि.....(संघ का नाम) का आज.

.....के माह.....वर्ष.....को औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9(2)

के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया।

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–ङ

व्यवसाय संघ हेतु पंजिका

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–9(3) तथा नियम–14 के अन्तर्गत)

कमांक							
संघ का नाम प्रधान कार्यालय का पता रजिस्ट्रीकरण की दिनांक							
क्र0सं0	कार्यालय में प्रवेश की दिनांक	नाम	प्रवेश के समय आयु	पता	व्यवसाय	कार्यालय छोड़ने की दिनांक	संघ कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालय जहां पूर्व में कार्यरत रहे
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

प्रपत्र–च

(विवाद की सुनवाई के लिए आवेदन)

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–22 व नियम–24 के अन्तर्गत)

मध्य

..... प्रथम पक्ष

तथा

.....द्वितीय पक्ष

निम्नलिखित विवाद को अभिनिर्णय के लिए आवेदन किया जा रहा है :

[यहां न्यायाधिकरण के नाम और पते का उललेख करें]

(i) विवाद एवं विवाद के पक्षों का नाम, पदनाम सहित विवरण

(ii) नियोजक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता

(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित कुल कर्मकारों की संख्या।

प्रभावित पक्षों के नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर :

इसकी प्रति भेजें:

(i) संबंधित न्यायाधिकरण

(ii) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार।

(iii) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

प्रपत्र–छ

31 दिसम्बर 20.....को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–26(1) और नियम–27(1) के अन्तर्गत)

संघ का नाम
पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता
पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक

व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा विवरण दिया जाना है	वर्ष के प्रारम्भ में सम्बद्ध संघों की संख्या
	वर्ष के दौरान शामिल होने वाले संघों की संख्या
व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा यह विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है	वर्ष के अंत में असम्बद्ध किये गये संघों की संख्या
	वर्ष के आरम्भ में बहियों में सदस्यों की संख्या
	वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्यों की संख्या (आपस में जोड़ा जाए)
	वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या (घटाया जाए)
	वर्ष के अन्त में बहियों में कुल सदस्यों की संख्या
	पुरूष
	महिलाएं
	राजनीतिक निधि में अंशदान देने वाले सदस्यों की संख्या

व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रति, जो इस रिटर्न के प्रेषण की दिनांक तक सही है, संलग्न है।

दिनांक.....वर्ष.....

प्रपत्र–ज

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–34 तथा नियम–35 के अन्तर्गत)

प्रमाणित स्थाई आदेशों हेतु पंजिका

क्र0 सं0	आवेदक का नाम	स्थाई आदेश को समाहित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	आक्यूपायर का नाम व पता	उद्योग की श्रेणी	औद्योगिक प्रतिष्ठान में कर्मकारों की संख्या	ट्रेड यूनियन अथवा कर्मकारों के प्रतिनिधियों का नाम व पता	औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बन्ध रखने वाली ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या	अनुसूची के मामले	प्रमाणीकरण की दिनांक	आवेदन की दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

संशोधन

संशोधन–1			संशोधन–2			संशोधन–3			संशोधन–4		
आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

प्रपत्र–झ
स्थाई आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–35(2) तथा नियम–36 के अन्तर्गत)

नियोजकओं की संस्था का नाम अथवा कर्मकारों का नाम :
पता :

सेवा में,

प्रमाणन अधिकारी (स्थाई आदेश)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
पता :.....

महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा–38 के प्रावधानों के अनुसार, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित औद्योगिक स्थापन में अपनाये गये स्थाई आदेश संख्या.....20.....में संशोधन किए जाने का इच्छुक हूं :

2. मैं यह घोषणा करता हूं – स्थाई आदेशों को अस्तित्व में आए या उनमें अंतिम संशोधन हुए छह माह व्यतीत हो चुके हैं।

संशोधन प्रस्तावित करने वाले नियोजक व कर्मकारों के मध्य एक समझौता हो चुका है, जिसकी प्रति यहां संलग्न है।

3. इच्छित संशोधन/संशोधनों को इंगित करने वाले स्थाई आदेशों की पांच प्रतियां संलग्न है।

4. कर्मकारों के ब्यौरे तथा व्यवसाय संघ के नाम व ब्यौरों के संबंध में कोई परिवर्तन, जोकि उनके द्वारा अंतिम बार प्रस्तुत किया गया था, भी संलग्न शीट में इंगित है।

औद्योगिक स्थापनों की सूची

क0सं0	औद्योगिक स्थापन का नाम	नियोजक का नाम व पदनाम	स्थापन की श्रेणी	पता (पंजीकृत कार्यालय)	वह दिनांक जिस पर स्थाई आदेश या अन्तिम संशोधन अस्तित्व में आए	अपेक्षित संशोधन	टिप्पणी

भवदीय
(नाम एवं पदनाम)

प्रपत्र–ञ

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–40 तथा नियम–37 के अन्तर्गत)

(नियोजक द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों के परिवर्तन की सूचना)

नियोजक का नाम.....

पता.....

दिनांक.....दिन.....20.....

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 (1) के अनुसार मैं/हम सभी सम्बंधित को सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कर्मकारों पर सेवा शर्तों में.....से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुलग्नक

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

इस प्रतिलिपि को अग्रेषित करें:

1. पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव, यदि कोई हो।
2. सम्बंधित उप श्रम आयुक्त।
3. श्रम आयुक्त।

प्रपत्र–ट

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)
(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–42(3) के नियम–38 के अन्तर्गत)

मध्य

..... नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों के नाम

तथा

.....कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पक्षों के बीच यह सहमति बनी है.....

[यहां माध्यस्थम के नाम और पते का उल्लेख करें]

(i) विवाद में विर्निदिष्ट मामले।

(ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण

(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कर्मकारों की संख्या।

(अ) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने वाले कर्मकारों की अनुमानित संख्या।

"हम माध्यस्थमों के बहुमत के फैसले से सहमत हैं) माध्यस्थम को अगर समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वे अपनी राय में एक अन्य व्यक्ति को अंपायर नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्त एक निश्चित अवधि..... अपना निर्णय देंगे। (यहां पार्टियों द्वारा सहमत अवधि निर्दिष्ट करें). केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में या इस तरह के भविष्य के प्रकाशनों में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक को लिखित रूप से हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया गया है। यदि मामले में निर्णय उल्लेखित अवधि के भीतर नहीं किया गया, तो माध्यस्थम का संदर्भ स्वतः रूप से रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम को खोजने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पक्षों के हस्ताक्षर नियोजक और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए:

गवाह

1.....

2.....

इसकी प्रति भेजें:

(i) सुलह अधिकारी [संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करें]।

(ii) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार।

(iii) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

कर्मकार/कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

प्रपत्र–ठ

(नियम 40, 61 देखें)

(संहिता के अधीन एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के समूह, नियोजक, नियोजक के समूह द्वारा प्राधिकारी के समक्ष एक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किया जाएगा)।

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित अधिकारी का उल्लेख करें)

(कार्यवाही के नाम का उल्लेख करें)

.....कार्यकर्ता विपक्षी.....नियोजक

मैं /हम श्री/सर्वश्री 1..... 2..... 3..... को अपना नेतृत्व करने के लिए अधिकृत करते हैं।

दिनांक .....दिन .....20.....

प्रतिनिधि को मनोनीत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पता स्वीकार किया गया

प्रपत्र–ड

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–53 तथा नियम–41(2) के अन्तर्गत)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटारा न होने पर न्यायाधिकरण को आवेदन पत्र)

.....के समक्ष पेशी (यहाँ पर अधिकार क्षेत्र के न्यायाधिकरण का नाम उल्लिखित करें)

.....के मामले में आवेदक का पता.....विपक्ष का पता.....

उपर्युक्त आवेदक को बताना होगाः –

(यहां प्रासंगिक तथ्यों और मामलों की परिस्थितियों को निर्धारित करें): –

आवेदक की प्रार्थना है कि विवादों को तत्काल स्थगित किया जाए ताकि जल्द–से–जल्द उचित निर्णय लिया जा सके।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रपत्र–ण
समझौते का पंजीयन
(नियम–43 देखें)

पंजीयन संख्या	पक्षों का नाम व पता	समझौते की शर्तें	समझौते की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–त
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
(नियम–43 देखें)

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि समझौते का ज्ञापन दिनांक.....जोकि..... .....के मध्य, जिसकी प्रति संलग्न है, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत आज.....दिवस.....माह.....वर्ष .....को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

संराधन अधिकारी एवं प्रमाणन अधिकारी,
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–थ

(नियम 45 देखें)

(श्रमिकों और उनके समूहों (के नाम) द्वारा यूनियन को हड़ताल के लिए सूचना पत्र)

श्रमिकों द्वारा चुने हुए 5 प्रतिनिधियों के नाम.....

दिनांक.....माह.....20.....

(नियोजक का नाम).

आदरणीय महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं/हम औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 62 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलग्नक में उल्लिखित कारणों से दिनांक.....20..... हड़ताल का आह्वान करते हैं / प्रस्ताव रखते हैं.

सधन्यवाद।

(यूनियन सचिव)

(दिनांक).....को हुई बैठक में श्रमिकों के विधिवत चुने गये पाँच प्रतिनिधि, संलग्न प्रस्ताव द्वारा }

अनुलग्नक

मामले का बयान / कथन

प्रतिलिपि भेजें:

1} सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार ।

2} श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

3} क्षेत्र के संबंधित उप श्रम आयुक्त।

प्रपत्र–द

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–62 तथा नियम–46 के अन्तर्गत)

(एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा दी जाने वाली लॉक–आउट की सूचना)

नियोजक का नाम.....

पता.....

दिनांक.....दिन.....20.....

इस संहिता की धारा 62 खंड (6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम आपको सूचित करते हैं कि लाकआउट के प्रभाव के कारण..... संस्थाओं के विभाग, अनुभाग..... अनुलग्न में वर्णित कारणों के चलते बंद हो जाएंगे।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुलग्न

कारणों का बयान

प्रतिलिपि भेजें:

(1) पंजिकृत संघ के सचिव। यदि कोई हों तो?

(2) सुलह अधिकारी.....{यहाँ पर सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त के कार्यालय का पता लिखें

(3) श्रम सचिव उत्तराखंड सरकार.

(4) श्रम आयुक्त उत्तराखंड।

(5) महानिदेशक श्रम ब्यूरो अधिकारी।

प्रपत्र–ध

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा–70, 74 तथा नियम–47, 49 के अन्तर्गत)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान के अधीन किसी नियोजक द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना

(ऑनलाइन जमा की जानी है। ऑनलाइन मोड के आभाव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करके ऑफलाइन मोड से भी भेज सकते हैं।)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोजक का नाम.....

कर्मकार पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट करें: समुचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी/छंटनी के आरम्भ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

(i) सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार।

(ii) श्रम आयुक्त उत्तराखंड।

(iii) क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त।

1. (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि 'मैंने/हमने' दिनांक..... कुल.....में से..... कर्मकारों की छंटनी करने का निर्णय लिया है।

या

बंदी (ख) इस संहिता के अंतर्गत धारा 74 (1) के अनुसार मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने. .....(औद्योगिक स्थापन या उपक्रम का नाम) को दिनांक.....से (तारीख/महीना/वर्ष) बंद करने का निर्णय लिया है। उन कर्मकारों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त किया जाएगा.....(कर्मकारों की संख्या) है।

2. छंटनी– उपक्रम बंद करने के कारण..... .....

.....

.....

3. इस संहिता के अनुसार भाग 70 (।) 75 (1) के अंतर्गत निकाले जाने वाले कर्मकारों को ..... (तारीख /महीना / साल) एक महीने का वेतन दे दिया गया है।

4. ' मैं ' हम ' घोषणा करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता ' का जो भी बकाया है / होगा ' उनके सभी बकायों का भुगतान मुआवजे के साथ धारा 70 * / धारा 75 * के अधीन इस संहिता के अनुसार नोटिस की अवधि से पहले या समाप्ति पर कर दिया जाएगा।

या

'चूंकि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है तो अवस्थापना / उपक्रम / नियोजक इसी लिए हम ' संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान कर देंगे।

5. (छंटनी) मैं / हम 'घोषित करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता की इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुसार ' 'छंटनी होगी।

6. मैं ' / हम ' घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है। और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।

7. मैं ' / हम ' घोषित करते हैं कि इस नोटिस में मेरे / हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी और अनुलग्नक सत्य है इसकी सटीकता के लिए ' हम / ' ' / ' पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य / सामग्री छिपाई नहीं गयी है।

(नियोजक का नाम /*** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि)

(* हड़ताल जो लागू नहीं है।)

(** आंकड़ों और शब्दों दोनों में संकेत संख्या उल्लिखित करें)

(नियोजक द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की *** कॉपी संलग्न की जाएगी)

प्रतिलिपि भेजें:

(1) डीजी लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय के लिए, (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए।)

(२) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

(३) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार।

(4) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त।

(5) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकृत संघों /अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची।

प्रपत्र–न

(नियम–50, 52, 54 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के अधीन नियोजक /औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी की निरंतरता की अनुमति के लिए राज्य सरकार को अंडरटेकिंग देने के अंतर्गत आवेदन]

(ऑनलाइन जमा किया जाना है। ऑनलाइन मोड के अभाव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करते हुए आवेदन ऑफलाइन मोड से भी भेजा जा सकता है।)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोजक का नाम.....

कर्मकार पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(टिप्पणीः केंद्र सरकार को आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार दिया जाएगाः

ले–ऑफः इच्छित ले–ऑफ से कम से कम 15 दिन पहले

पहले ले–ऑफ की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले ले–ऑफ की निरंतरता

छंटनी– छंटनी की इच्छित दिनांक से कम से कम 60 दिन पहले

बंद करने का इरादा बंद होने के कम से कम 90 दिन पहले)

आवेदन भेजें:

श्रमिक सचिव उत्तराखंड सरकार

1. (ले–ऑफ) (ए)। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (2) के अधीन मैं * / हम * "ले–ऑफ करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ... ... काम करने वाले ** कुल मिलाकर..." ... – . कर्मकार ** मेरे ' / हमारे ' प्रतिष्ठान (अनुबंध–I में दिए जाने वाले विवरण) को .....। (दिनांक/ माह / वर्ष) के प्रभाव से नियोजित किया गया है।

या

' (ले–ऑफ की निरंतरता) (बी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अधीन मैं * / हम * ले–ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। कुल श्रमिकों..... में से....

श्रमिकों ** को मेरे * / हमारे * प्रतिष्ठान (अनुबंध– I में दिए जाने वाले विवरण)..... (दिनांक / माह / वर्ष) के प्रभाव में नियोजित किया गया है।

या

* (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के अधीन (ख) की निरंतरता (बी), मैं * / हम * इसके अधीन ले–ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ..... कुल श्रमिकों में से..... मेरे (* एनेक्स– I में दिए जाने वाले विवरण) को... *... .. (दिनांक / माह / वर्ष) के प्रभाव में श्रमिकों को रखा गया।

या

* (छंटनी) (ब) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के अधीन मैं * / हम * विवरण के प्रत्यावर्तन की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ..... मेरे प्रभाव में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से * / हमारे * प्रतिष्ठान (एनेक्स– I में दिए जाने वाले विवरण) के प्रभाव से..... .. (दिनांक / माह / वर्ष)

या

* (बंद) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के तहत मैं / हम * आपको सूचित करते हैं कि मैं * / हम * उपक्रम को बंद करने का इरादा रखते हैं..... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोजक का नाम) (विवरण अनुलग्नक– I में दिया जाएगा) .... (दिनांक / माह / वर्ष) के प्रभाव से।

श्रमिकों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त कर दिया जाएगा ....। (श्रमिकों की संख्या)

2. (संबंधित (ले–ऑफ / निरंतरता जारी रखने के लिए) संबंधित कार्यकर्ता को दिए गए थे .....(दिनांक / माह / वर्ष) लिखित रूप में नोटिस के अधीन धारा 78 (2) * / धारा 78 (3) * इस संहिता का उपयोग हुआ है।

या

* (छंटनी / बंद) संबंधित कार्यकर्ता (ओं) को .....। (दिनांक / माह / वर्ष) को इस संहिता की धारा / 9 * / धारा * के अधीन आवश्यक एक महीने का नोटिस दिया गया था।

या

* (छंटनी / बंद) करने संबंधित कार्यकर्ता को .....। (दिनांक / माह / वर्ष) को इस संहिता की धारा /9 * / धारा * के अधीन आवश्यक एक महीने का नोटिस दिया गया था।

या

* (छंटनी /बंद) करने से संबंधित कार्यकर्ता को। .....। (दिनांक / माह / वर्ष) पर इस संहिता की धारा 79 * / धारा 80 * के अधीन आवश्यक सूचना के औसत में एक महीने का वेतन दिया जाता है।

3. प्रभावित कार्यकर्ता का विवरण अनुबंध II में है।

4. (छंटनी) मैं * / हम * घोषित करते हैं कि संबंधित कर्मचारी इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में पीछे हट जाएंगे।

5. "मैं / हम * इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारियों को धारा* 67 / के अधीन धारा 67 (10) * / धारा 79 * / धारा 80 * के साथ पढे गए सभी देय और मुआवजों का भुगतान नोटेस की अवधि से पहले या उसके समाप्त होने तक कर दिया जाएगा।

तथा

* मैं / हम * यह जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम/ नियोजक के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है, और मैं * हम * संबंधित कानूनों के अनुसार मुआवजे के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे।

6. मैं / हम / इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है, और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न है।

7. मैं / हम घोषित करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी /सत्य है / सच है, मैं /हम / इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य /सामग्री को छिपाया नहीं है।

प्रार्थी

(नियोजक का नाम / *** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि)

(* हड़ताल जो लागू नहीं है)

(** आंकड़ों और शब्द दोनों में संकेत संख्या उल्लिखित करें)

(*** नियोजक द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न होगी)

अनुलग्नक–I

(कृपया प्रत्येक बिन्दु के विरुद्ध उत्तर दें)

1 पूर्ण डाक पते, ईमेल, मोबाइल और लैंड लाइन के साथ उपक्रम का नाम।

2 उपक्रम करने की स्थिति–

(प) जहां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र / आदि,

(पप) जहां एक निजी लिमिटेड कंपनी /साझेदारी फर्म

(iii) क्या उपक्रम लाइसेंसधारी / पंजीकृत है और यदि ऐसा है तो लाइसेंसिंग/ पंजीकरण प्राधिकरण और लाइसेंस /पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का नाम।

3 (ए) एमसीए संख्या

(इ) जीएसटीएन नंबर

पिछले तीन वर्षों में किए गए छंटनी / छंटनी का विवरण जिसमें इस तरह के छंटनी / छंटनी की अवधि शामिल है, प्रत्येक छंटनी / छंटनी /छंटनी की निरंतरता में शामिल कर्मचारियों की संख्या

8 कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जो छंटनी / बंद होने की निरंतरता पर असर डालते हैं।

अनुलग्नक–II

(प्रभावित कर्मकारों का विवरण)

एसआई।

कोई UAN / CMPFO का नाम

कार्यकर्ता श्रेणी

(अत्यधिक कुशल /कुशल /अर्ध–कुशल / अकुशल

प्रपत्र–प

(नियम 58(1) देखें)

इस संहिता के अधीन पहली बार अपराध करने वाले कर्मचारी को धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माने के लिए नोटिस

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 89 की उपधारा 1 के अधीन अधोहस्ताक्षरी और शमन अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए आप पर आरोप लगाया गया है –

खंड–1

1. अपराधी कर्मचारी का नाम और पता– ..... चलतें)

2. अवस्थापना का पता ....

3. अपराध के विवरण .....

4. संहिता की धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है ... ...

5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि .....

खंड–2

आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 (1) के अनुसार अपराध को कम करने के लिए, इस के भाग–III में भरे गए आवेदन के साथ नोटिस स्वीकार्य नहीं है। ।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा ——— के तहत अभियोजन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

(शमन अधिकारी के हस्ताक्षर

खंड–3

अपराध की शमन के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन आवेदन

1. आवेदक का नाम (नियोजक का नाम जिसका उल्लेख होना है। जिसने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अधीन अपराध किया है) .....। .....

2. आवेदक का पता .....।

3. अपराध के विवरण ....

4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है .....

5. जमा की गई राशि का विवरण (संलग्न किए जाने के लिए इलैक्ट्रौनिक रूप से प्राप्त रसीद)

....

6. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर अभियोजन का विवरण दिया जा सकता है .....

7. क्या यह आवेदक का पहला अपराध है या फिर उसने इस अपराध से पहले भी कोई अन्य अपराध किया था? यदि प्रतिबद्ध है तो अपराध का पूरा विवरण ....।

.....। .....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है .....।

प्रपत्र–फ

(औद्योगिक संबंध संहिता, की धारा 91 तथा नियम 60 के तहत शिकायत)

सुलह अधिकारी/माध्यस्थम/न्यायाधिकरण या राज्य न्यायाधिकरण.....के समक्ष

इस विषय में.....संदर्भ संख्या.....

क.....शिकायतकर्ता

बनाम

ख.....प्रतिवादी पक्ष

पता:

याचिकाकर्ता ने शिकायत करने के लिए मांग की कि विपक्षी पार्टी (.....)

औद्योगिक सम्बन्ध की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(यहां कथित तौर पर उल्लिखित तरीके को दिखाया गया है जिसमें कथित रूप से उल्लंघन हुआ है और प्रबंधन के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है।)

शिकायतकर्ता तदनुसार प्रार्थना करता है कि सुलह अधिकारी /पंचायत / औद्योगिक न्यायाधिकरण या राज्य ट्रिब्यूनल ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने और आदेश पारित करने की कृपा करे क्योंकि यह उचित है।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के अधीन प्राप्त शिकायत की प्रतियों की संख्या और इसके अनुलग्नक को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है।

यह दिनांक ..... का दिन ....20 ..... है। शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पूरी तरह से घोषणा करता हूं कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है ..... .वह सच है

ज्ञान और जो पैराग्राफ में बताया गया है ..... .भार को प्राप्त जानकारी पर कहा गया है और मेरे द्वारा विश्वास किया जाता है कि यह सच है।

इस सत्यापन पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ...

हस्ताक्षर या सत्यापन करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान